

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021कैम्प गोरखाना

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

सन्तराम


बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एलआरएक्ट.

नम्बर 76

सन-2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
27.10.2021	<p>प्रशासन गांव के अभियान कैम्प कोर्ट गोरखाना में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>प्रार्थी /अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 30/32 की कुल 5.7290हेक् में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 545/542 में से 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम सन्तलाल दर्ज किया गया है जो गलत है प्रार्थी का सही नाम सन्तराम है।</p> <p>प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात , आम आदमी का आधार कार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम सन्तराम दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में सन्तराम दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।</p> <p>तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट /मजमे आम की जानकारी के अनुसार प्रार्थी का नाम सन्तराम है नाम संशोधन की अभिशपा की गई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सन्तलाल दर्ज है एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सन्तराम दर्ज है</p> <p>प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में कैम्प के दौरान सरपंच एवं मजमे आम के द्वारा प्रार्थी के नाम को तस्दीक किया गया</p> <p>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं सरपंच ग्राम पंचायत एवं मजमे आम की तस्दीक व तहसीलदार नोहर की अभिशपा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 30/32 की कुल 5.7290हेक् में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 545/542 में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम सन्तलाल दर्ज है के स्थान पर सन्तराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान-2021
कैम्प कोर्ट गोरखाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

ब्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2021/292

दिनांक :- 27-10-21

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण अनवानी सन्तराम बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. सन्तराम पुत्र रावताराम जाति ब्राह्मण निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 30/32 की कुल 5.7290 हैक् में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 545/542 में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम सन्तलाल दर्ज है के स्थान पर सन्तराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान-2021

कैम्प कोर्ट ...गोरखाना.